भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग प्रतिबंध

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 5*

प्रस्तावित ईएसएस 5 किस बारे में है?

यदि परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग प्रतिबंध (एलए/एलयूआर) का शमन नहीं किया गया, तो उससे नकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम पैदा हो सकता है। भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग प्रतिबंध पर प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 5 (ईएसएस 5) में किसी परियोजना के लिए भूमि प्राप्त करने या भूमि उपयोग को प्रतिबंधित करने के सभी तरीकों का उल्लेख है।

मानक सुरक्षा नीति विवरण(2009) के तहत अनैच्छिक पुनर्वास आवश्यकताओं पर आधारित है।

* ईएसएस5 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति| एशियाई विकास बैंक (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्किंग पेपर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूर्ण पाठ पर एडीबी निदेशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

इस ईएसएस 5 के उद्देश्य हैं

- आर्थिक और भौतिक विस्थापन से बचना या, जब अपरिहार्य हो, तो व्यवहार्य वैकल्पिक परियोजना डिजाइन और साइटों पर विचार करके ऐसे विस्थापन को कम करना;
- जबरन बेदखली से बचाव करना;

- एलए/एलयूआर से होने वाले अपरिहार्य प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक जोखिमों और प्रभावों को कम करना
  - (a) पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर संपत्ति के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा प्रदान करना, और
  - (b) पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर संपत्ति के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा प्रदान करना, और
- वंचित या कमजोर व्यक्तियों की आजीविका और जीवनयापन स्थिति में सुधार करना; और
- सुनिश्चित करना कि एलए/एलयूआर गतिविधियों की योजना बनाई गई है और उचित हितधारक भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की गई है, जिसमें सूचना प्रकटीकरण, सार्थक परामर्श और शिकायत प्रबंधन शामिल है।

नए और बेहतर नीतिगत प्रावधान क्या हैं?

1 अनुप्रयोग के दायरे पर अधिक स्पष्टता

प्रस्तावित ईएसएस 5 में किसी परियोजना के संबंध में भूमि प्राप्त करने या भूमि उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न तरीकों और लेनदेन के लिए अनुप्रयोग के दायरे और ड्यू डिलीजेंस अपेक्षाओं पर अधिक स्पष्टता है। इसमें शामिल है (i) अनैच्छिक एलए/एलयूआर, (ii) स्वैच्छिक एलए/एलयूआर के लिए ड्यू डिलीजेंस की अपेक्षाएं, (iii) किसी परियोजना से पहले की गई गतिविधियां, लेकिन जो किसी परियोजना की तैयारी में या उसकी पूर्वानुमान में शुरू की गई थीं।

2 प्रभावों के प्रकार

विभिन्न प्रकार के एलए/एलयूआर प्रभावों संबंधी प्रावधानों में सुधार किया गया है। एलए/एलयूआर प्रभावों के प्रकारों में शामिल हैं (i) पूर्ण, आंशिक, स्थायी, और/या अस्थायी आर्थिक और भौतिक विस्थापन; और (ii) बिना औपचारिक, पारंपरिक, या पहचानने योग्य संपत्ति वाले प्रभावित व्यक्ति और मेजबान देश के कानूनों के तहत अधिकारों का उपयोग करते हैं जो भूमि पर कब्जा करते हैं या उसका उपयोग करते हैं।

3 संबंधित सुविधाओं और संचयी सामाजिक प्रभावों का कवरेज

संबद्ध सुविधाओं, संचयी सामाजिक प्रभावों और/या विरासती मुद्दों को कवर करने के लिए प्रस्तावित मानक को मजबूती प्रदान की गई है, जिनके लिए कर्जदार/ग्राहक को अपने के प्रभाव और नियंत्रण के भीतर एलए/एलयूआर से संबंधित जोखिमों और प्रभावों को कम करने की आवश्यकता होगी।

4 जोखिम वर्गीकरण

वर्तमान में, अनैच्छिक पुनर्वास (आईआर) के लिए जोखिम वर्गीकरण आईआर श्रेणी ए परियोजनाओं में गंभीर रूप से प्रभावित 200 व्यक्तियों की संख्यात्मक सीमा है। संख्यात्मक सीमा का उपयोग करने की इस प्रथा को हटा दिया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत और प्रासंगिक जोखिम कारकों का उचित आकलन नहीं हो पाता है। यह वर्गीकरण एकीकृत जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा।

5 कटऑफ तारीख

प्रस्तावित मानक मुआवजे और अन्य लाभ उद्देश्यों के लिए कट-ऑफ तिथि की घोषणा और प्रकटीकरण पर कर्जदार/ग्राहक की आवश्यकताओं पर अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।

6 प्रभावों का आकलन

कर्जदार/ग्राहक को बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए एलए/एलयूआर मूल्यांकन और भूमि अधिग्रहण योजना (एलएपी) के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। एलएपी प्रभावों के अनुपात में होगा, वंचित या कमजोर और लिंग पर विशेष ध्यान देगा, हितधारक सहभागिता, शिकायत तंत्र और सूचना प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।

7 मुआवजा/सहायता

ईएसएस 5 से मुआवजे और हक/सहायता, आजीविका बहाली और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के मौजूदा प्रावधानों को मजबूती मिली है। कर्जदार/ग्राहक परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा और अधिकार प्रदान करेगा। शारीरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास स्थलों पर कार्यकाल की सुरक्षा और सुरक्षा के साथ पर्याप्त आवास सुनिश्चित किया जाएगा। प्रभावित व्यक्तियों को पूर्व-विस्थापन स्तरों या परियोजना कार्यान्वयन की शुरुआत से पहले प्रचलित स्तरों, जो भी अधिक हो, के सापेक्ष उनकी आजीविका और जीवन स्तर को वास्तविक रूप से सुधारने या कम से कम बहाल करने में सहायता की जाएगी। वंचित या कमजोर व्यक्तियों की आजीविका और रहने की स्थिति में सुधार किया जाएगा, और शारीरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं, उपयोगिताओं और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ पर्याप्त आवास प्रदान किया जाएगा।

8

भूमि अधिग्रहण फ्रेमवर्क

ईएसएस 5 में भूमि अधिग्रहण फ्रेमवर्क (एलएएफ) के उपयोग की अनुमति है, लेकिन उन परियोजनाओं या परियोजना उप-घटकों के लिए औचित्य और व्यापक दायरे की आवश्यकता होती है, जिनके लिए परियोजना सुविधाओं का अंतिम विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन पूरा नहीं हुआ है और जहां परियोजना की तैयारी के दौरान एलए/एलयूआर की प्रकृति परिमाण अभी भी अनिश्चित है।

9

भूमि अधिग्रहण योजना अनुपालन निगरानी

ईएसएस 5 में सिविल कार्य शुरू होने से पहले, कार्यान्वयन के दौरान एलएपी कार्यान्वयन अनुपालन की निगरानी के प्रावधान शामिल हैं और परियोजना बंद होने से पहले एलएपी कार्यान्वयन की पूर्ण निगरानी की अपेक्षा की जाती है। महत्वपूर्ण एलए/एलयूआर जोखिमों और प्रभावों वाली परियोजनाओं के लिए, कर्जदार/ग्राहक बाहरी सामाजिक निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा संचालित बाहरी मूल्यांकन करेगा। एडीबी के माध्यम से सीधे तीसरे भाग के निगरानी विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। यह उन विशिष्ट महत्वपूर्ण मामलों की ड्यू डिलीजेंस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा जहां कर्जदार/ग्राहक से प्राप्त एलएपी निगरानी जानकारी लगातार अपर्याप्त है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess http://www.adb.org/publications/corrigenda
Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper